यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, ऊधमसिंह नगर**, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, ऊधमसिंह नगर, के माह 08/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.08.2017 से 31.08.2017 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा एवं श्री अरिन्दम चटर्जी स.ले.प.अ. श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09/08/2016 से 23/08/2016 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापीरक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2014 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2016/ से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- ग्रामीण निर्माण विभाग का कार्य यह की, विभिन्न विभागो के निर्माण कार्य डिपॉजिट कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण ऊधमसिंह नगर है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	00.00	2526.68	208.75	203.30	2835.59	3061.80	2300.47	5.45
2015-16	00.00	2300.47	221.06	221.06	2354.48	2911.67	1743.28	00
2016-17	00.00	1743.28	263.85	263.85	1925.07	2405.27	1263.08	00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हुये इकाई **A** श्रेणी की है।

इकाई का संगठनात्मक ढांचाः- (संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारण्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

1. सचिव, ग्रामीण निर्माण विबाग उत्तराखण्ड शासन

तकनीकी संवर्ग मेः-

2. मुख्य अभियंता स्तर-1 (विभागाध्यक्ष) 3. मुख्य अभियंता, स्तर-2 4. अधीक्षण अभियंता 5. अधिशासी अभियंता 6. सहायक अभियंता 7. कनिष्क अभियंता.

गैर तकनीकी संवर्ग मेः-

1. वित्त नियंत्रक 2. खंडीय लेखाकार 3. सहायक लेखाधिकारी 4. प्रशासनिक अधिकारी 5. लेखाकार 6. प्रधान सहायक 7. वरिष्ठ सहायक 8. कनिष्क सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, ऊधमसिंह नगर, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, ऊधमसिंह नगर, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, ऊधमसिंह नगर, का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, ऊधमसिंह नगर, के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-01- प्रखण्ड स्तर पर त्रुटिपूर्ण आगणन बनाए जाने के परिणामस्वरूप ऑडिटोरियम भवन के निर्माण पर ₹ 191.73 लाख की धनराशि का अलाभकारी व्यय।

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान में प्रस्तावित ऑडिटोरियम भवन निर्माण हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंह नगर द्वारा वर्ष 2010-11 में सर्वप्रथम ₹ 242.00 लाख के बनाए गए प्राक्कलन जिस पर अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल नैनीताल द्वारा जुलाई 2013 में ₹ 242.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एम-13015/04/10/Trg. दिनांक 9 फरवरी 2011 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि भी अवमुक्त की गयी, में मात्र निम्नल्लिखित मदें ही शामिल की गई थी:-

(₹ लाख में)

Sr. No.	**Item**	**Estimated Cost**
1	Cost of Civil Works	239.47
2	Add Contingency	0.11
3	Display boards & Photographs	0.03
4	Architectural & Structural Drawing	2.39
Total		**242.00**

जबकि अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंह नगर द्वारा उक्त प्रस्तावित ऑडिटोरियम भवन के निर्माण के सम्बन्ध में मई 2012 में बनाए गए प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 345.00 लाख जिसमें सिविल निर्माण कार्यो एवं इलेक्ट्रिकल एवं मकेनिकल कार्यों हेतु क्रमशः ₹ 227.21 लाख एवं ₹ 117.28 लाख का प्रावधान किया गया था, पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में सम्बन्धित ठेकेदार के साथ सितम्बर 2013 में ₹ 213.77 लाख की धनराशि का अनुबंध गठित करते हुए प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। उक्त निर्माण कार्य को प्रारम्भ एवं पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 25.09.2013 एवं 24.09.2014 थीं।

जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रखण्ड को उपलब्ध कराई गयी धनराशि ₹ 211.00 लाख के सापेक्ष ₹ 191.73 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी थी एवं उक्त निर्माण कार्य संप्रेक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक भी अपूर्ण ही पड़ा था तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंह नगर, द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार के अनुबंध का इसी स्तर पर अंतिमीकरण किए जाने हेतु अधिक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल से संस्तुति भी अगस्त 2017 में की जा चुकी थी।

संम्प्रेक्षा के दौरान आगे यह भी पाया गया कि अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड ऊधमसिंह नगर द्वारा उक्त प्रस्तावित ऑडिटोरियम भवन के निर्माण के सम्बन्ध में अप्रैल

2017 में बनाए गए ₹ 443.70 लाख के तीसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन में निम्नलिखित मदें शामिल की गई थीं:-

(₹ लाख में)

Sr. No.	**Item**	**Estimated Cost**
1	Cost of Executed Civil Works	191.73
2	Cost of Remaining Civil Works	77.88
3	Provision for 300 No. Push Back Chairs	29.89
4	Provision for Internal Electrification/200KVA DG Set/Sarvo Voltage Stabilizer/10 KVA Online UPS/Connection Cable	39.83
5	Provision for Ductable Air Conditioning	29.72
6	Provision for Audio/Video/Projection Work	42.87
7	Fire Alarm/Fire Fighting System	12.64
8	Contingencies @3% on Item No. 2 to 7	6.98
9	Service Tax 6% on item No. 2 to 7 excluding item no. 3	12.17
10	Total Revised Cost of the Work	443.70
11	Earlier Sanctioned Amount	242.00
12	Remaining Cost of Work	201.70

इस प्रकार उक्त निर्माणाधीन आडिटोरियम भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अप्रैल 2017 में प्रेषित तीसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 443.70 लाख के अनुसार वर्तमान में ₹ 201.70 लाख की धनराशि की आवश्यकता है इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से तीन वर्ष की अवधि के व्यतीत होने के उपरांत भी निकट भविष्य में पूर्ण होने की कोई संभावना भी नहीं दिखती क्योंकि प्रखण्ड स्तर पर उक्त निर्माण कार्य हेतु ₹ 242.00 लाख के सर्वप्रथम बनाए गए प्राक्कलन जिस पर ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि भी अवमुक्त की गयी थी, के अतिरिक्त प्रखण्ड स्तर पर तीन पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 345.00 लाख, ₹ 392.00 लाख एवं ₹ 443.70 लाख क्रमशः मई 2012, सितम्बर 2016 एवं मई 2017 में ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए परंतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त तीन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर स्वीकृति न प्रदान कर ₹ 242.00 लाख के सर्वप्रथम बनाए गए प्राक्कलन पर ही स्वीकृति प्रदान करते हुए जून 2016 तक पूर्ण धनराशि ही अवमुक्त की गयी थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रखण्ड स्तर पर सर्वप्रथम ₹ 242.00 लाख का जो प्राक्कलन तैयार किया गया था उसमें प्रस्तावित आटोरियम भवन के निर्माण हेतु आवश्यक/वांछित सभी मदों का प्रावधान किए बिना ही उक्त त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार किया गया एवं जिस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इतनी ही राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी। जबकि प्रखण्ड स्तर पर उक्त निर्माण कार्य, प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन जो ₹ 345.00 लाख की धनराशि का मई 2012 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, पर शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में, प्रारम्भ किया गया था जो कि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के

प्रस्तर 316 (2) में दिये गए प्रावधानों, जिसके अनुसार यदि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किसी निर्माण कार्य पर स्वीकृत धनराशि से 10 प्रतिशत से अधिक व्यय होता है अथवा होने का अनुमान है तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, का उल्लंघन था।

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उधिमसिंह नगर द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि ग्राहक विभाग द्वारा अत्यधिक जल्दी में उक्त निर्माण कार्य का आगणन बनाए जाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उक्त आगणन को अत्यधिक जल्दी में बनाए जाने के कारण त्रुटिवश सभी आवस्यक मदों को आगणन में शामिल नहीं किया जा सका तथा उक्त निर्माण कार्य, प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन जो ₹ 345.00 लाख की धनराशि का मई 2012 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, पर शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में, प्रारम्भ किया गया था तथा उक्त निर्माण कार्य अप्रैल 2017 में भेजे गए ₹ 443.70 लाख के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन के स्वीकृत होने के उपरांत ही पूर्ण हो सकेगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि प्रखण्ड स्तर पर त्रुटिपूर्ण आगणन बनाए जाने एवं प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन जो ₹ 345.00 लाख की धनराशि का मई 2012 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, पर शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में, प्रारम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप ही उक्त आडिटोरियम भवन के निर्माण पर ₹ 191.73 लाख की धनराशि का व्यय होने के उपरांत भी उक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से तीन वर्ष की अवधि के व्यतीत होने के उपरांत भी अपूर्ण ही पड़ा है जिसके निकट भविष्य में पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखती।

अतः प्रखण्ड स्तर पर त्रुटिपूर्ण आगणन बनाए जाने के परिणामस्वरूप आडिटोरियम भवन के निर्माण पर ₹ 191.73 लाख की धनराशि के अलाभकारी व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर-01- नाबार्ड पोषित योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्यों पर राज्य सेक्टर अंतर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 74.94 लाख की धनराशि का व्ययावर्तन।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 580 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय अनुमन्य नहीं है। जबकि अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उधमसिंह नगर प्रखण्ड के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया कि वर्ष 2015-16 में नाबार्ड पोषित योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्यों पर राज्य सेक्टर के अंतर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों हेतु स्वीकृत धनराशि से प्रखण्ड स्तर पर निम्नानुसार व्ययवार्तन किया गयाः

(₹ लाख में)

क्र.	निर्माण कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्ययित धनराशि	अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष अधिक व्ययित धनराशि	निर्माण कार्य का नाम एवं योजना जिससे धनराशि व्ययावर्तित की गयी
1	एन.एच 74 महेशपुरा से बाजपुर गाँव तक 2.11 कि.मी. सड़क का निर्माण (बाजपुर)	नाबार्ड पोषित योजना	133.98	83.39	94.18	10.79	ग्राम सभा कूल्हा में चौराहे से हरिपुरा बैराज तक 500 मीटर मार्ग का निर्माण/राज्य सेक्टर
2	एन.एच 74 से कनौरी पिपलिया लिंक रोड तक 1.72 कि.मी. सड़क का निर्माण (बाजपुर)	नाबार्ड पोषित योजना	132.49	84.56	125.27	40.71	भूरारानी मटकोटा मार्ग से भंजुराम इंटर कालेज मंदिर होते हुए हंस विहार तक सड़क का निर्माण/राज्य सेक्टर
3	हरिद्वार बरेली रोड महेशपुरा से ग्राम हरलालपुर होते हुए बाजपुर गाँव तक 1.25 कि.मी. सड़क का निर्माण (बाजपुर)	नाबार्ड पोषित योजना	90.82	50.45	73.89	23.44	लालपुर नगला मुख्य मार्ग से आनंदपुरी कालोनी होते हुए इंद्रपुरी मार्ग तक मार्ग एवं पुलिया का निर्माण/राज्य सेक्टर
			357.29	218.4	293.34	74.94	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रखण्ड स्तर पर उपरोक्त नाबार्ड पोषित योजना के तीन निर्माण कार्यों पर अवमुक्त धनराशि से ₹ 74.94 लाख की धनराशि राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं से व्ययावर्तित करते हुए अनियमित रूप से व्यय की गयी।

उक्त से संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगति किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि नाबार्ड पोषित योजना के जिन तीन निर्माण कार्यों पर धनराशि व्ययवर्तित की गयी है उन मार्गों से संबन्धित धनराशि प्राप्त होने पर जिन मार्गों से धनराशि व्ययवर्तित की गयी है, वापस अंतरित कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर वित्तीय प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि किसी निर्माण कार्य पर उसके संबंध में प्राप्त धनराशि से अधिक धनराशि व्यय किया जाना वित्तीय प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य नहीं है जबकि प्रखण्ड स्तर पर उक्त वित्तीय प्रावधानों की अनदेखी

करते हुए नाबार्ड पोषित योजना के तीन निर्माण कार्यों पर अवमुक्त धनराशि से ₹ 74.94 लाख की धनराशि राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं से अनियमित रूप से व्ययावर्तित करते हुए व्यय की गयी।

अतः नाबार्ड पोषित योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्यों पर राज्य सेक्टर के अंतर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 74.94 लाख की धनराशि का व्ययावर्तन करते हुए अनियमित रूप से व्यय किए जाने संबंधी प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-02- ₹ 56.70 लाख धनराशि डिपोंजिट कार्यों हेतु उपलब्ध राशि से अधिक व्यय वित्तीय नियमो के विरूद्ध किया जाना।

डिपॉजिट पार्ट-3 मार्च 2017 के अनुसार निम्नलिखित धनराशिंया कार्यों के सापेक्ष ऋणात्मक दर्शायी गयी है अर्थात उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय किया गया है। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 580 के अनुसार जब तक धनराशि उपलब्ध न हो तो व्यय नहीं किया जाना चाहिए यदि अधिक व्यय हो जाये तो विभाग के विरूद्ध विविध अग्रिम डाल
कर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। परंतु निम्न धनराशियों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आइटम संख्या/माह वर्ष	अधिक व्यय रू लाख में
1	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान रूद्रपुर में आडिटोरियम हाल का निर्माण	98	8.06
2	बी.ए.डी.पी., के विभिन्न कार्य	114 माह 8/2013	0.74
3	पशु सेवा केन्द्र खड़कपुर, देवीपुरा के भवन का निर्माण	144 माह 3/2014	0.21
4	रमसा वर्ष (2011-12) लकमा योजनांगर्त रा.उ.मा.वि. में मुख्य भवन का निर्माण	151 माह 04/2013	47.69
		योग	**56.70**

उपरोक्त उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किए जाने के प्रकरण को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि ग्राहक विभागों से धनराशि प्राप्त होने पर समायोजन कर लिया जाएगा। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि डिपॉजिट कार्यों में उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किया जाना वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

अतः रू 56.70 लाख धनराशि उपरोक्त कार्यों हेतु उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर-03- ₹ 6.10 लाख धनराशि विविध अग्रिम के रूप में वसूली हेतु लंबित रखना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6- के नियम 584 के अनुसार विविध अग्रिम की वास्तविक वसूली या सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार समायोजन की कार्यवाही की जानी चाहिए परंतु कार्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रम संख्या 1 से 9 तक विगत माह 1/1998 से माह 10/2016 तक की अवधि में इन अधिकारियों/कर्मचारियों/फर्मों/ठेकेदारों के विरूद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रू 6,10,553,=00 वसूली हेतु लंबित है।

क्र.सं.	लेनदेन का माह	कर्मचारी/फर्म का नाम	धनराशि
1	3/2010	श्री कुन्दन सिंह	4700
2	7/2016	श्री हरीश चन्द	5000
3	10/2016	श्री मोहम्मद यासीन	1600
4	1/1998	यू पी. सीमेंट हल्द्वानी	227860
5	4/2003	इंडियन ऑइल मथुरा	42085.60
6	6/2007	इंडियन ऑइल हल्द्वानी	309316
7		शक्ति ऑइल रूद्रपुर	19992
		कुल धनराशि	**6,10,553.60**

उक्त धनराशि जो एक वर्ष से 19 वर्ष की अवधि से लम्बित थी की वसूली हेतु खंड स्तर पर कोई कार्वाही नहीं की गयी थी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया की धनराशि को समायोजित करने हेतु पत्राचार करते हुये समायोजन की कार्वाही की जाएगी। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि कुछ धनराशि विगत 19 वर्षों से अधिक समय से वसूली हेतु लंबित है। अतः रू 6.10 लाख लंबित विविध अग्रिम की वसूली का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
37/2004-05	01	00
78/2005-06	01	2,3,
33/2009-10	00	01
100/2011-12	00	1,2,3,
45/2014-15	00	1,2,3,4,
50/2016-17	00	1,2,3,4,5,6,7,
योग	**02**	**17**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, ऊधमसिंह नगर, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई विनीत कुरील	अधिशासी अभिंयता	
2.	ई विनोद कुमार	अधिशासी अभियंता	

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, ऊधमसिंह नगर, को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.